

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1726
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

एफडीसी दवाओं का उपयोग

1726. श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार की देश में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के उपयोग की निगरानी बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से देश में एफडीसी दवाओं के उपयोग और नुस्खे का अध्ययन करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर कुछ एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिबंधित की गई ऐसी एफडीसी दवाओं की सूची क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा जनता के लिए एफडीसी दवाओं का विपणन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): देश में दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को लाइसेंसिंग और निरीक्षण की प्रणाली के माध्यम से औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

(ख): विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) दोनों को देश में एफडीसी दवाओं के उपयोग और नुस्खे का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा गया है।

(ग) और (घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिबंधित एफडीसी दवाओं की सूची केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट अर्थात् https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/system/modules/CDSCO.WEB/elements/download_file_division.jsp?num_id=MzI1MQ== पर उपलब्ध है।

(ङ): दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नई दवा की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) के विनिर्माण के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से नई दवा के लिए विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त करने से पहले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से अनुमति की आवश्यकता होती है।
